भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1239

दिनांक 14 दिसंबर,2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रमुख निर्यात बाजारों से मांग में कमी

1239. श्री पी.सी. मोहन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को प्रमुख निर्यात बाजारों से मांग में कमी की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में मांग में कमी सहित उसका ब्यौरा क्या है; और
(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) अप्रैल-अक्टूबर 2022 (नवीनतम उपलब्ध डेटा) के दौरान भारत की समग्र पण्य-वस्तु निर्यात मांग मजबूत रही। अप्रैल-अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए पण्य वस्तु निर्यात 263.35 बिलियन अमरीकी का रहा, जबकि पिछले वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर 2021) की इसी अवधि के दौरान यह 233.98 बिलियन अमरीकी डॉलर का था, इस प्रकार इसमें 12.55 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में (-) 2.2 प्रतिशत की मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है।

(ग) सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन और बढ़ावा दे रही है और समय-समय पर उपयुक्त हस्तक्षेप शुरू कर रही है। प्रमुख योजनाओं/हस्तक्षेपों में शामिल हैं:

1. बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम निर्यात संवर्धन संगठनों/व्यापार संवर्धन संगठनों/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/प्रयोगशालाओं, निर्यातकों आदि को नए बाजारों तक पहुंच बनाकर या मौजूदा बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ाकर निर्यात बढ़ाने में मदद करती है।

2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत भी कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता उपलब्ध है।

3. निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) निर्यात के विकास के लिए उपयुक्त अवसंरचना के सृजन हेतु केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करती है।

4. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों/शुल्कों की छूट प्रदान करता है जो निर्यात किए गए उत्पादों के निर्माण और वितरण की

प्रक्रिया में उपचित होते हैं, लेकिन जो वर्तमान में किसी अन्य शुल्क छूट योजना के तहत वापस नहीं किए जा रहे हैं।

5. ईसीजीसी भारतीय निर्यातों को क्रेडिट बीमा कवर प्रदान करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है। एनईआईए परियोजना निर्यात के लिए ईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए बीमा कवर को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है, जिससे भारतीय परियोजना निर्यातक अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं और विभिन्न ज्यूरिस्डिक्शन्स में मजबूत आधार हासिल करते हैं, जो विदेशों में बड़ी परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए भारत की क्षमताओं को उजागर करते हैं।

6. व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म।

7. भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए ईपीसी, वस्तु बोर्डों और विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका के साथ सरकार के समग्र दृष्टिकोण को बढ़ाया गया है।

8. अब तक, भारत ने 13 एफटीए और 6 पीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 1 मई, 2022 से लागू हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एफटीए (अर्थात् भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए)) किया है जो 29.12.2022 से लागू होगा ।

****